न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा,जिला–बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः–   श्री राजेशकुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–   09/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :–   2023/437

अपीलांट	बनाम	उतरदातागण
मदरसा जामीया हस्सानबिन साबित बयादगार ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ति सोसायटी मोहनपुरा ग्राम पंचायत बागावास जरीये अध्यक्ष मिश्राखां पुत्र अमीनखां जाति मुसलमान निवासी बागावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		1.सरपंच ग्राम पंचायत बागावास 2.निजामखां पुत्र इब्राहिमखां के वारिसान 2/1. सायरखां पुत्र निजामखां 2/2. दरियाखां पुत्र निजामखां 2/3. शाहरूकखां पुत्र निजामखां 2/4. सलीमखां पुत्र निजामखां 3.कमरूदीनखां पुत्र इब्राहिमखां 4.दीनेखां पुत्र इब्राहिमखां 5.जमाल खां पुत्र इब्राहिमखां जाति मुसलमान निवासी मोहनपुरा वाया बागावास हसील पचपदरा जिला बालोतरा 6.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 470 जो सरपंच ग्राम पंचायत बागावास द्वारा आदेश दिनांक 20.12.2018 के द्वारा अस्वीकृत किया गया।</u>

उपस्थिति :–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।

2.श्री पूनमाराम अधिवक्ता उतरदाता संख्या 1 से 5 की ओर से उपस्थित।

3.उतरदाता संख्या 06 एकपक्षीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

1.संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीघा भूमि उतरदाता संख्या 02/1 से 2/4 के पिता निजाम खां व उतरदाता संख्या 3 से 5 एवं सरीफो पत्नि इब्राहिम की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी,तदोपरान्त सहखातेदारान द्वारा दिनांक 18.9.2018 को उक्त सम्पूर्ण भूमि जरीये विक्रय पत्र आगे अपीलांट को सप्रतिफल प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

करने हेतु बेचान कर दी गई,और वक्त खरीद अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया,आदिनांक अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट की ओर से विक्रय पत्र की प्रति हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरने के लिए दी गई और हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरा गया तथा संबधित भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जांच नामान्तकरण सही पाये जाने की रिपोर्ट की गई। ग्राम पंचायत बागावास जरीये सरपंच को नामान्तकरण तस्दीक कर बाद स्वीकृत करने के बजाय नियमों से परे जाकर अवैध रूप से अपीलाधीन नामान्तकरण को अस्वीकृत किया गया,जो कि अवैघ आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलाण्ट को उसके हक हकूक से महरूम रखा गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जाकर ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र माफिक अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण दायर करवानें हेतु अपील पेश की गई।

2.अपीलाण्ट की अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदाता को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। उतरदाता संख्या 1 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री पुनमाराम द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा उतरदाता संख्या 1 से 05 की ओर से अपील के तथ्यों को स्वीकार करतें हुए इकबालीया जबाव पेश किया। शेष उतरदाता संख्या 06 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.अपीलाण्ट व उतरदाता संख्या 1 से 5 अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहरातें हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा भूमि उतरदाता संख्या 02/1 से 2/4 के पिता निजाम खां व उतरदाता संख्या 3 से 5 एवं सरीफो पत्नि इब्राहिम, की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी,तदोपरान्त सहखातेदारान द्वारा अपने धेरलू जायज जरूरत कार्य के लिए दिनांक 18.9.2018 को उक्त सम्पूर्ण भूमि जरीये विक्रय–पत्र आगे अपीलांट को सप्रतिफल प्राप्त करने हेतु बेचान कर दी गई,और वक्त खरीद अपीलांट को कब्जा सुपुर्द किया,आदिनांक अपीलांट का कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट की ओर से विक्रय पत्र की प्रति हल्का पटवारी को नामान्तकरण भरने के लिए दी गई और हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरा गया तथा संबधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा बाद जांच रेकर्ड अनुसार अंकन सही है,की टिप्पणी की गई। सरपंच ग्राम पंचायत बागावास को हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक बागावास की टिप्पणी मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक करते हुए स्वीकृत किया जाना चाहिए था। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत बागावास द्वारा नियमों से परे जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया,जिसमें टिप्पणी अंकित की गई कि प्रस्ताव संख्या 103 [illegible] सर्व सम्मति से अस्वीकृत किया जाता है,मौके पर उपरोक्त संस्था संचालित किसी प्रकार [illegible] नहीं है तथा ग्राम पंचायत की कोरम बैठक में नामान्तकरण संख्या 470 अस्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत बागावास द्वारा अवैघ आदेश पारित किया गया है और अपीलांट को उसके हक हकूकों से महरूम रखा गया है। जबकि अपीलकर्ता मदरसा जामीया हस्मानबिन साबित बयादगार जो कि एक रजिस्ट्रर्ड संस्था है,जिसके संबध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र भी जारी किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हुए है,किन्तु उसके उपरांत भी अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है,जो विवादित नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि अपीलकर्ता का वक्त खरीद से आदिनांक कब्जा चला आ रहा है। माननीय न्यायालय में नियम विरूद्ध पारित सरपंच ग्राम पंचायत बागावास के नामान्तकरण संख्या 470 आदेश दिनांक 20.12.2018 के विरूद्व अपील जानकारी होने के भीतर अन्दर म्याद पेश की गई। अपनी बहस को जारी रखतें हुए अपीलाण्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलकर्ता गांव का निवासी है और कानूनी जानकारी के अभाव के कारण अपील में हुए देरी को माफ करते हुए अपीलकर्ता की अपील अन्दर म्याद सुमार किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 470 आदेश दिनांक 20.12.2018 को अपास्त किया जाकर ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा भूमि पंजीकृत विक्रय–पत्र माफिक अपीलकर्ता के नाम नामान्तकरण दायर करवानें के आदेश फरमायें जावें।

4.उतरदाता संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा भूमि उतरदाता संख्या 02/1 से 2/4 के पिता निजाम खां व उतरदाता संख्या 3 से 5 एवं सरीफो पत्नि इब्राहिम की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित थी,तदोपरान्त सहखातेदारान द्वारा अपने धेरलू जायज जरूरत कार्यो की आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपीलाधीन भूमि दिनांक 18.9.2018 को जरीयें विक्रय–पत्र आगे अपीलकर्ता को सप्रतिफल प्राप्त कर बेचान कर दी गई थी और वक्त खरीद अपीलकर्ता को कब्जा सुपुर्द किया गया था और अपीलकर्ता का लगातार आदिनांक कब्जा चला आ रहा है। लेकिन ग्राम पंचायत बागवास जरीयें सरपंच द्वारा नियमों से परे जाकर नामान्तकरण खारिज किया गया था। उतरदाता अधिवक्ता ने अपनी बहस को आगे जारी रखतें हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 470 आदेश दिनांक 20.12.2018 को अपास्त किया जाकर अपीलकर्ता के नाम नये सिरें से नामान्तकरण भरा जाता है,तो उतरदाता संख्या 1 से 5 को आपति नहीं है।

5.इस प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर निर्णीत करना आवश्यक समझतें है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तकरण संख्या 470 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण विधि विरूद्व पारित किया गया है,क्योंकि अपीलाधीन भूमि का उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के पिता निजाम खां व उतरदाता संख्या 3 से 5 एवं सहखातेदार सरीफो इब्राहिन द्वारा विवादित खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा भूमि जरीयें पंजीबद्व विक्रय–पत्र के द्वारा अपीलकर्ता को बेचान कर दी गई थी और उक्त विक्रय–पत्र मुताबिक तत्कालीन हल्का पटवारी बागावास द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण भरा गया और भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा रेकर्ड अनुसार अंकन सही पाया,कि टिप्पणी की गई तथा सरपंच ग्राम पंचायत बागावास को हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक बागावास की टिप्पणी/अंकन अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था,लेकिन नियमों से परे जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया। जो कि अवैधानिक आदेश पारित किया गया है,ऐसे आदेश प्रारम्भतः शून्य एवं निष्प्रभावी की श्रेणी में आतें है,इसके लिए म्याद का बिन्दू बनता ही नहीं है। ऐसी दशा में म्याद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट ग्रामीण परिवेश मे होने तथा उनके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से विवादित आराजी की नकल प्राप्त करने पर स्वंय का नाम भू अभिलेख मे दर्ज नही होने की जानकारी होने के अन्दर म्याद अपील प्रस्तुत किए जाने के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जाने के निवेदन को स्वीकार करना कानूनन उचित समझते है। क्योकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह होता है कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय मे साधन के रूप मे होते है न कि स्वंय साध्य के रूप मे। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम बखूबी साबित होने से एवं विधि संगत होने से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझते है।

6.हमने अपीलांट व उतरदाता संख्या 1 से 5 अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 470 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि के सहखातेदार उतरदाता संख्या 2/1 से 2/4 के पिता निजाम खा व उतरदाता संख्या 03 से 5 एवं खातेदार सरीफो बेवा इब्राहिम की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मोहनपुरा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 40,51 व 224/51 कुल रकबा 117–18 बीघा भूमि अवस्थित थी और उक्त सहखातेदारान द्वारा खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीघा भूमि का आगे बेचान अपीलकर्ता को जरियें रजिस्ट्री दिनांक 18.9.2018 को किया गया और उक्त विक्रयपत्र के आधार पर हल्का पटवारी बागावास द्वारा नामान्तकरण भरा गया,जो अपीलाधीन नामान्तकरण के कालॅम संख्या 07 के अवलोकन से स्पष्ट है। तत्पश्चात भू अभिलेख निरीक्षक बागावास द्वारा रेकर्ड अनुसार अंकन सही है,की टिप्पणी की गई। सरपंच ग्राम पंचायत बागावास द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 के तहत सर्व सहमति से अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया तथा मौके पर उपरोक्त संस्था सम्बन्धित किसी प्रकार का निमार्ण नही है तथा ग्राम पंचायत की कोरम बैठक मे नामान्तकरण संख्या 470 अस्वीकृत किया जाता है,कि टिप्पणी अंकित करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया। जो कि अपीलाधीन नामान्तकरण में विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। क्योकि पंजीबद्व विक्रय–पत्र के मुताबिक ही हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक बागावास द्वारा नामान्तकरण भरकर व बाद जांच की टिप्पणी अंकन करते हुए नामान्तकरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत बागावास द्वारा मौके पर संस्था सम्बन्धित किसी प्रकार का निमार्ण नहीं होने के आधार अंकित करते हुए अपीलाधीन नामान्तकरण अस्वीकृत किया गया,जो कि आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वात के विपरीत है,क्योंकि उतरदाता संख्या 01 को पंजी[illegible] नामान्तकरण पारित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए था। लेकिन उतरदा[illegible] अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर विधि विरूद्व आदेश पारित कि[illegible] है। उक्त अवैध आदेश के कारण अपीलकर्ता को उसके हक हकूको से महरूम रखा गया है,जो कि न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। जबकि उतरदाता संख्या 1 से 5 ने जरीये अधिवक्ता इकबाली जबाव पेश कर अपीलांट के अपील के समस्त तथ्यों को स्वीकार किया तथा यह भी स्वीकार किया कि अपीलाधीन भूमि का उतरदाता संख्या 02/1 से 2/4 के पिता निजाम खां व उतरदाता संख्या 03

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

से 5 एवं खातेदार सरीफो बेवा इब्राहिम द्वारा सम्पूर्ण भूमि का बेचान अपीलकर्ता को दिनांक 18.9.2018 को कर दिया गया था,वक्त खरीद से आदिनांक अपीलकर्ता का कब्जा चला आ रहा है। तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बागवास द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 470 अस्वीकृत किया गया था,जो गलत आदेश पारित हुआ था। अपीलाधीन भूमि को अपीलकर्ता के पक्ष में नये सिरें से नामान्तकरण पारित किया जाता है,तो उतरदाता संख्या 1 से 5 को आपति नहीं है। इस प्रकार समग्र विवेचन से यह भली भांति स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तकरण अपास्त योग्य है और अपीलाण्ट अपने पक्ष में नामान्तकरण पारित करवाने के हकदार है।

7. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम नामान्तकरण संख्या 470 दिनांक 20.12.2018 को अपास्त कर दिनांक 18.9.2018 को पंजीबद्ध विकय–पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश देना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा–5,परिसीमा अधिनियम–1963 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। लिहाजा अपीलांट की अपील अन्दर म्याद सुमार कर स्वीकार की जाती है,ग्राम पंचायत बागावास के नामान्तकरण संख्या 470 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत बागावास के आदेश दिनांक 20.12.2018 को अपास्त किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम बागावास तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 51 रकबा 68–01 बीधा में बेचान दस्तोवज क्रम संख्या 201803082101625 दिनांक 18.9.2018 के आधार पर नामान्तकरण का नियमानुसार निस्तारण करें।

(हस्ताक्षर)
(राजेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 05.10.2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.27 19:41:27 IST
Reason: SelfAttested